नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1988

सा. का. नि. 950.—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा अपधायक (सम्पत्ति समाहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 16) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 में,—

(क) नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) (1) यदि अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश है तो वह उन यात्राओं की बाबत, जो उसने अधिकरण के कार्य के सबंध में की हैं, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के अधीन उन दरों पर, जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है, यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा।

(ii) यदि अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश है, तो वह उन यात्राओं की बाबत, जो उसने अधिकरण के कार्य के संबंध में की है, उसके पुनर्नियोजन के समय प्रदत्त दरों पर अपनी हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा

परन्तु उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, अपने मुख्यालय से दूर परिक्षेत्रों में अपने सामान्य कर्तव्यों से परे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय उच्चतर दैनिक भत्ते के फायदे का हकदार नहीं होगा।"।

(ख) नियम 9 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहां उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को इस उपनियम के अनुसार वास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, वहां उसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त ऐसे न्यायाधीश का वेतन के 12½ प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता संदेय होगा;"

(ग) नियम 10 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1)(i) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार चिकित्सीय परिचर्या का हकदार होगा।

(ii) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उन चिकित्सीय सुविधाओं का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अधीन उपलब्ध हैं या जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम उपलब्ध नहीं है, वहां उन चिकित्सीय सुविधाओं का हकदार होगा, जो मंत्रिमंडल सदस्यों को उपलब्ध है।"

[सं. 21/88/फा.सं. 22/15/86-ए.डी.I(ii)]
ए.के. सिन्हा, डैस्क अधिकारी

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 4 अगस्त, 1978 के अंक में सा.का.नि. 305(अ) के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

उसके पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित रीति से किए गए:

(1) सा.का.नि. 1177, तारीख 15 नवम्बर, 1980

(2) सा.का.नि. 353() तारीख 31 दिसम्बर, 1986

(3) सा.का.नि. 592 तारीख 8 अगस्त, 1987।

New Delhi, the 24th November, 1988

G.S.R. 950.—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (16 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, namely:—

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978:—

(a) for sub-rule (1) of rule 6, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) (i) If the Chairman is a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance at the rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court under the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 or, as the case may be, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956 in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal.

(ii) If the Chairman is a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance or daily allowance according to his entitlement at the rates in force at the time of his re-employment in respect of journey performed by him in connection with the work of the Tribunal :

Provided that the retired Judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be entitled to the benefit of higher daily allowance admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of the High Court, as the case may be, for performing functions outside his normal duties in localities away from his headquarters";

(b) to sub-rule (1) of rule 9, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is not provided residence in accordance with this sub-rule, house rent allowance at the rate of 12-1/2% of pay shall be payable to such retired Judge of the Supreme Court or of the High Court.";

(c) for sub-rule (1) of rule 10, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(1) (i) A serving Judge of the Supreme Court or of A High Court shall be entitled to medical attendance in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(ii) A retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be entitled to medical facilities as available under the Central Government Health Scheme or where the Central Government health Scheme is not available he shall be entitled to medical facilities as available to Cabinet Ministers."

[No. 24/88/F. No. 22/15/86-Ad. IC]
A. K. SINHA, Desk Officer

Note : Principal rules were pulished in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extra-ordinary in the issue dated the 4th August, 1978 with G.S.R. 395(E).

Subsequently amended by :—

(i) G.S.R. 1177 dated 15th November, 1980.
(ii) G S R 953(E) dated 31st December, 1985.
(iii) G.S.R. 592 dated 8th August, 1987

उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1988

सा. का. नि. 951.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन में कलाकार सह-स्टैंसिलर, समूह "ग" (अननुसचिवीय पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग विकास संगठन (समूह "ग" राजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध का किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा
1	2	3	4	5	6	7
कलाकार-सह-स्टैंसिलर एक (1988)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1200-30-1560-ई.बी.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18—35 वर्ष (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	